

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024/19 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर :

(1) तारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. कागजात सभा पटल पर रखा जाएगा :

श्री सुखविन्दर सिंह सुखू, मुख्य मन्त्री, नियन्त्रक महालेखा परीक्षण (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 14वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री विक्रम सिंह, “को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गरली को ऊना हस्तांतरण किए जाने बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।”
- (2) सुश्री अनुराधा राणा, “लाहौल स्पीति की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यालयों के विलयकर्ण में रियायत देने बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगी।”

4. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 28)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

- (1) श्री इन्द्र सिंह (34-बल्ह), तारादेवी व घण्णाहट्टी उप मण्डलों को सुन्नी जल शक्ति मण्डल में सम्मिलित न करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (2) श्री इन्द्र सिंह (34-बल्ह), शिमला-एयरपोर्ट (जुब्बरहट्टी) यूको बैंक सम्पर्क मार्ग से नालागढ़ राज्य मार्ग के अवरूद्ध होने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी होगी:

‘प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे।

शिमला-171004

दिनांक: 09 सितम्बर, 2024

(यशपाल शर्मा)

सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)